

कार्यालय अध्यक्ष, नगर विकास न्यास एवं जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/95/2019

किशनसिंह पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट भोंट तहसील रूपवास

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 03.10.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त किशनसिंह पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट भोंट तहसील रूपवास ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 31.01.2019 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /782 दिनांक 16.9.2019 से सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक प.(153)सूअ/2019/2883 दिनांक 26.9.2019 प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आर.टी. आई. के तहत चाही गई सूचना सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त द्वारा सूचना उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक प.(153)सूअ/2019/2883 दिनांक 26.9.2019 के पत्र का अवलोकन किया। सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा उक्त पत्र से निवेदन किया है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष श्री शिवसिंह पुत्र तुलाराम जाति जाट निवासी

नीमदा गेट भरतपुर से संबंधित होने के कारण तृतीय पक्ष द्वारा सूचना देने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई। सूचना प्रदान करने में व्यापक जनहित होना प्रार्थी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। इस कारण सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपने पत्रांक 2804-05 दिनांक 29.08.2019 से प्रार्थी को सूचित कर दिया गया। अतः अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (नगर विकास न्यास भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति के साथ) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को प्रेषित हो।

अध्यक्ष, नगर विकास न्यास
एवं जिला कलक्टर,
भरतपुर